फर्द अहकाम
अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर
विनय शर्मा एड0 बनाम लो.सू.अधि. नगर निगम भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर ..19.. सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.04.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट विनय शर्मा एड0 पुत्र स्व0 श्री चरन लाल शर्मा निवासी अनाह गेट, शास्त्री पार्क के पास, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, भरतपुर अंकित किया गया है। जबकि इस कार्यालय के पत्रांक सतर्कता/आरटीआई/2024/723 दिनांक 18.03.2024 से मूल प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुक्त, नगर निगम भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था एवं प्रार्थी को भी पत्रांक 724–25 दिनांक 18.03.2024 से जरिये पत्र सूचित कर दिया गया था। अतः चाही गई सूचना जिला कलक्टर, भरतपुर के स्तर पर लम्बित न होकर लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम, भरतपुर के स्तर पर लम्बित है। **आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम भरतपुर को है।** अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। [signature] **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	285 29/04/24 मूल अपील लौटाई।